International Journal of Applied Research 2015; 1(2): 216-219

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2015; 1(2): 216-219
www.allresearchjournal.com
Received: 14-11-2014
Accepted: 16-12-2014

मिहीर कुमार झा
पूर्व शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग,
ल.ना. मिथिला विश्वविद्यालय,
दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
मिहीर कुमार झा
पूर्व शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग,
ल.ना. मिथिला विश्वविद्यालय,
दरभंगा, बिहार, भारत

शोध प्ररचना एवं शोध विधि : स्त्रियों के साथ हो रहे घटनाओं के संबंध में

मिहीर कुमार झा

सारांश
इस रहस्य जगत में न जाने कितने रहस्य छिपे हुए हैं। मानव चूँकि एक बौद्धिक और जिज्ञासु प्राणी है अतः अपनी इसी जिज्ञातु प्रवृत्ति के कारण वह उन रहस्यों का उद्घाटन करने के लिये आात वस्तुओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये तत्पर रहता है। यह तत्परता उसकी सभ्यता ज्ञान और प्रगतिशील प्रगति की परिचायिका है। मानव में नवीनता को ढुँढ निकालने की और अज्ञात को खोज निकालने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। इस प्रयत्नशीलता का उद्देश्य ज्ञान का विस्तार और स्पष्ट ज्ञान का स्पष्टीकरण तथा विद्यामान ज्ञान का सत्यापन होता है। इसी को शोध कहते हैं। शोध प्रतिधि नीवीन ज्ञान की प्राप्ति का एक व्यवस्थित साधन और घटनाओं के अनतःस्थल तक पहूँचने का अमूर्त अस्त्र है। जब इस अस्त्र का प्रयोग सामाजिक घटनाओं के सम्बन्ध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति उसके स्पष्टीकरण तथा सत्यापन के लिये किया जाता है तो उसी को सामाजिक शोध कहते हैं।

प्रस्तावना
शोध का तात्पर्य किसी विशेष जिज्ञासा के संदर्भ में इस प्रकार गहन अध्ययन करना है जिनमें नये सिद्धान्तों का निर्माण किया जा सके अथवा वर्तमान दशाओं के अन्तर्गत प्राचीन सिद्धान्तों की सत्यता का मूल्यांकन किया जा सके।
इस दृष्टिकोण से सामाजिक शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम सर्वप्रथम किसी समस्या, व्यवहार अथवा घटना से संबंधित आधारभूत तथ्यों का अवलोकन करके उसकी सामान्य प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं जो एक विशेष घटना से संबंधित कार्यकारण के संबंध को स्पष्ट कर सके। दूसरे शब्दों में सामाजिक जीवन में व्याप्त नियमें एवं वास्तविक प्रवृत्तियों की खोज करना ही सामाजिक शोध है। इस दृष्टिकोण से विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक शोध को अनेक प्रकार से परिभाषित किया है–
''सामाजिक अनुसंधान अथवा शोध को एक ऐसे वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक और क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नये तथ्यों का अन्वेषण अथवा पुराने तथ्यों की परीक्षा और सत्यापन उनके क्रमों, पारस्परिक संबंधों, कार्यकारण की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है।''
स्पष्ट है कि सामाजिक शोध जीवन के विभिन्न अंगों के विषय में अध्ययन करने की एक वैज्ञानिक योजना है। चूँकि यह वैज्ञानिक है इसलिये इसके अन्तर्गत समस्त अनुसंधान कार्य वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार होता है।
सामाजिक शोध को परिभाषित करते हुये श्री ई. ए. बोगार्ड्स का मत है कि– ''एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अन्तर्निहित प्रक्रियाओं की खोज करना ही सामाजिक शोध है।''
अर्थात् सामाजिक शोध का तात्पर्य वैयक्तिक जीवन अथवा व्यक्तिगत क्रियाओं से न होकर इसका सम्बन्ध समूह, व्यवहारों अथवा सामूहिक जीवन से है।
श्री जी.एम. फिशर सामाजिक शोध की व्याख्या करते हुये लिखा है कि– ''किसी समस्या को हल करने अथवा एक परिकलपना की परीक्षा करने अथवा नयी घटना या सम्बन्धों को खोजने के उद्देश्य से सामाजिक परिस्थितियों में उपयुक्त कार्य विधि का प्रयोग करना ही सामाजिक शोध है।''
उक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक शोध का तात्पर्य केवल नये सिद्धान्तों का निर्माण करना ही नहीं है बल्कि पुराने तथ्यों की प्रामाणिकता को जानने अथवा विभिन्न घटनाओं को संचालित करने वाले नियमों को जानने के सभी प्रयत्नों की व्यवस्थित प्रणाली को ही हम शोध के नाम से सम्बोधित करते हैं।
इस दृष्टिकोण से सामाजिक शोध की वास्तविक प्रवृत्ति को इसकी निम्नांकित विशेषताओं की सहायता से समझा जा सकता है–

1. सामाजिक शोध का तात्पर्य वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग द्वारा सामाजिक घटनाओं तथा मानव व्यवहारों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना है।
2. सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं के वैज्ञानिक अथवा व्यवस्थित अध्ययन मात्र को ही सामाजिक शोध नहीं कहा जा सकता है बल्कि इसका उद्देश्य नवीन ज्ञान का सृजन करना ही होता है।
3. सामाजिक शोध इस मान्यता पर आधारित है कि कोई भी सामाजिक घटना पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं होती वरन् कुछ अन्य घटनाओं से सम्बन्धित होती है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक शोध का एक महतवपूर्ण उद्देश्य विभिन्न सामाजिक घटनाओं निहित कार्यकरण के संबंध को ज्ञात करना है।
4. सामाजिस शोध के अन्तर्गत नये तथ्यों की खोज करने के साथ ही पुराने तथ्यों अथवा पूर्व विस्थापित सिद्धानतों की पुनर्परिक्षा और सत्यापन का काम भी किया जाता है।
5. सामाजिक शोध एक ऐसी पद्धति है जिसका कार्य किसी परिकल्पना की उपयुक्तता की जाँच करना अथवा परीक्षण करना है।
6. सामाजिक शोध एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
7. सामाजिक शोध केवल कुछ विशेष पद्धतियों, प्रविधियों तथा उपकरणों के प्रयोग तक ही सीमित नहीं है बलिक इसका सम्बन्ध नयी प्रविधियों के समुचित विकास से भी है।
8. स्पष्ट है कि सामाजिक शोध एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा सामूहिक जीवन में व्याप्त विभिन्न प्रकार की घटनाओं की प्रकृति उनके अनतर्सम्बन्धों तथा उनमें अन्तर्निहित प्रक्रियाओं का पक्षपात रहित रूप से विश्लेषण करके एक सामान्य सिद्धान्त का प्रतिपादन करना है।

अनुसंधान प्ररचना (रिसर्च डिजाईन)

प्रत्येक सामाजिक अनुसंधान के अपने कुछ पूर्व निश्चित उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये दो मार्ग अपनाये जा सकते हैं। प्रथम हम बिना तैयारी के वास्तविक अनुसंधान कार्य प्रारम्भ कर दें और सीधे तथ्य संकलन एवं तथ्य विश्लेषण के आधार पर अनुसंधान विषय के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकालने का प्रयास करें। द्वितीय, हम वास्तविक अनुसंधान प्रारम्भ करने से पूर्व, अनुभव के उद्देश्य के आधार पर अध्ययन विषय एवं अनुसंधान कार्य के विभिन्न पक्षों को पहले से ही योजनाबद्ध कर यह निश्चय कर लें कि सम्पूर्ण अनुसंधान कार्य में हमें क्या–क्या और किस प्रकार करना है। इस दूसरे मार्ग से अनुसंधान कार्य की जो रूपरेखा बनायी जाती है उसे ही अनुसंधान प्ररचना या रिसर्च डिजाईन कहते हैं। इससे अनुसंधान कार्य को न केवल उचित दिशा प्राप्त हाती है बल्कि अनुसंधानकर्ता यहाँ–वहाँ भटकने से बच जाता है। शोध प्ररचना पर गहन अध्ययन करने से पूर्व शोध प्ररचना के अर्थ को समझना भी आवश्यक है। श्री आर.एल. एकॉफ का मत है। कि– ''निर्णय क्रियान्वित करने की स्थित आने से पूर्व ही निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया को ही प्ररचना कहते हैं।''

श्री एकॉफ द्वारा प्रस्तुत की गयी अनुसंधान प्ररचना की उपर्युक्त परिभाषा पर यदि हम विहंगम दृष्टि डालें तो स्पष्ट होता है कि उद्देश्य प्राप्ति से पूर्व अर्थात् वास्तविक अनुसंधान करने से पूर्व यदि हम उद्देश्य का निर्धारण करके तद्नुकूल अध्ययन, विषय के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करने के लिये अनुसंधान कार्य की एक रूपरेखा या योजना बना लेते हैं, तो इसी रूपरेखा या योजना को ही अनुसंधान प्ररचना कहते हैं और जब यह अनुसंधान कार्य किसी सामाजिक घटना या सामाजिक समस्याओं से सम्बन्धि होता है तो उसे सामाजिक अनुसंधान की प्ररचना कहते हैं। चूँकि अनुसंधान प्ररचना का निर्माण अनुसंधान के उद्देश्य के आधार पर किया जाता है अतः उद्देश्य की दृष्टि से सामाजिक अनुसंधान प्ररचना के अनेक प्रकार होते हैं जिनमें से अनुसंधान कर्ता अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सर्वाधिक उपर्युक्त समझकर इनमें से किसी एक प्रकार का चयन कर लेता है। अनुसंधान प्ररचना के निम्नलिखित प्रकार है–

1. अन्वेषणात्मक, अनुसंधान प्ररचना
2. वर्णनात्मक अनुसंधान प्ररचना
3. निदानातमक अनुसंधान प्ररचना
4. परीक्षणात्मक अनुसंधान प्ररचना

प्रस्तुत ग्रन्थ में वर्णनात्मक शोध अभिकल्प को लिया गया है। वर्णनात्मक अनुसंधान प्ररचना का तात्पर्य उस रूप रेखा से है जिसमें किसी विषय या समस्या जाता है। वास्तव में आधुनिक अनुसंधानों के अध्ययन क्षेत्र इतने विस्तृत रहते हैं कि उसकी समस्त जनसंख्या या इकाइयों से सम्बन्ध स्थापित करना अत्यन्त कठिन होता है। इसके लिये न केवल अत्याधिक समय पूँजी तथा परिश्रम की आवश्यकता होती है। बल्कि सुशिक्षित शोधकर्ताओं की भी आवश्यकता होती है किन्तु निदर्शन पद्धति के द्वारा सीमित समय, पूँजी तथा कम कार्यकर्ताओं के द्वारा ही इस विशाल अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन सम्पन्न किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आधुनिक अनुसंधानों में निदर्शन प्रवृति का महत्व दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। श्री गुडे एवं पी.के.हॉट ने निदर्शन को परिभाषित करते हुये लिखा हैं कि– ''एक निदर्शन जैसा कि नाम से स्पष्ट है किसी विशाल समूह को छोटा प्रतिनिधि है।''

बोगार्ड्स के अनुसार– ''निदर्शन प्रविधि एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार इकाइयों के समूह में से एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव है।''

फ्रैन्क याटन के अनुसार– ''निदर्शन शब्द का प्रयोग केवल किसी समग्र वस्तु की इकाइयों का एक सेट या भाग के लिये किया जाता चाहिये जिसे इस विश्वास के साथ चुना गया है कि वह समग्र का प्रतिनिधित्व कर सके।''

फेयरचाइल्ड ने कहा है कि– ''निदर्शन प्रविधि वह प्रक्रिया प्रणाली है जिसके द्वारा एक समय विशेष में से निश्चित संख्या में से व्यक्तियों, विषयों या निरीक्षणों को निकाला जाता है।''

संक्षेप में सामान्य रूप से समग्र या सम्पूर्ण में से चुने गये कुछ को ''जो कि समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करता है जिसमें समग्र की आधारभूत विशेषताएँ विद्यमान होती हैं, निदर्शन कहलाती हैं।'' उक्त विवेचन के पश्चात् शोधार्थी प्रस्तुत अध्ययन में प्रयोग की जाने वाली शोध प्रविधि या प्ररचना का वर्णन करना आवश्यक समझती है।

कार्य की आवश्यकता एवं न्यायीकरण

किसी भी देश का सामाजिक एवं आर्थिक विकास तभी सम्भव है जबकि देश के समस्त नागरिक विकास की प्रक्रिया में भाग ले किन्तु आज वस्तु स्थिति इसके विपरीत है। महिलायें जो देश का अर्धभाग हैं, देश के विकास की प्रक्रिया में भाग लेना तो दूर वो रूढ़ियों से उपेक्षित रही हैं और आज भी बहुत सीमा तक उपेक्षित हैं। उसके प्रमाण हमें दिन–प्रतिदिन समाचार पत्रों के माध्यम से महिलाओं का उत्पीड़न तथा उनकी अस्वाभाविक मृत्यु की घटनाओं से मिलता है।

उक्त घटनाओं की गहन अन्तर्वेदना से अभिभूत हो कर यह सोचने पर विवश होना परता है कि आखिर महिलाओं पर अत्याचार का यह सिलसिला कब जक जारी रहेगा। इस समस्या के मूल में क्या कारण है तथा समस्या का निदान क्या है? महिलाओं की उक्त स्थिति के लिये कौन उत्तरदायी है?

आश्यर्च की बात ये है कि एक ओर भारत में महिलाओं को अधिकर देने की बात की जा रही है और सरकारी स्तर पर जो प्रचार होता है, उससे ऐसा आभास होता है कि भारत में महिलाओं को बहुत अधिक सम्मान, बहुत अधिक अधिकार और विशेष सुविधायें प्राप्त हैं, परन्तु वास्तविकता इसके विपरीत है।

आज जो कुछ हो रहा है वो अपने आप में एक दुखदायी कहानी है। आज जिस प्रकार दहेज लोभी महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, उन्हें जलाते हैं और प्रायः उनकी हत्यायें तक कर डालते हैं, अथवा उन्हें तिल–तिल कर जलने और मरने के लिये छोड़ देते हैं। यह सब हमारे भारतीय समाज के लिये कलंक है और व्यावहारिक असामंजस्य का परिणाम हैं। भारत में अभी तक वैवाहिक सामंजस्य सम्बन्धी अध्ययन नाममात्र को ही हुये हैं। डा. प्रमिला कपूर ने 'मैरिज एण्ड द वर्किंग वीमेन इन इण्डिया' नामक पुस्तक में कार्यरत महिलाओं पर अध्ययन किया है। इस प्रकार के अध्ययनों के अभाव का एक सम्भावय कारण यह प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम वैवाहिक असामंजस्य से सम्बन्धित उन्हीं समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जान पड़े, तथा जो देश की अधिकांश जनसंख्या से जुड़ी हुयी थीं इस प्रकार के अध्ययनों की कमी इस तथ्य से भी स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय समाज का ढँचा परम्परागत तिपय सुव्यवस्थित सामाजिक आदर्शों पर आधारित था जिसमें संघर्ष की भावना नहीं के बराबर थी। अतः यह समस्या पृष्ठभूमि में दबी रही और शायद इसलिये भी दबी रही कि– भारतीय समाज में स्त्री–पुरूष अपने मतभेदों का हल अपने वैवाहिक जीवन के परम्परागत ढाँचे में ढुँढ़ निकालते थे लेकिन यह कैसी विडम्बना है कि स्वतन्त्रता के बाद जहाँ नारी उत्थान की बात बहुत जोर–शोर से कही जाती है वहीं दूसरी ओर अनेक समाजिक अधिनियमों के बन जाने के बाद भी महिलओं पर अत्याचार और शोषण आदि की घटनाओं में कहीं कोई कमी नहीं आयी।

उक्त परिस्थिति को देखते हुये मन में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उभर रहा था कि क्या नारी आज भी स्वतन्त्र हो सकी है या नारी आज भी मनुस्मृति की नारी की माँति घर की चारदीवारी में कैद है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में शोधार्थी दिन–प्रतिदिन की घटनाओं से व्यथित होकर और गहनअन्तर्वेदना से अभिभूत होकर उक्त समस्या पर शोध करने का निर्णय लिया। प्रस्तुत ग्रंथ का अध्ययन कर यह जानने का प्रयास किया है कि वे कौन–कौन से कारण हैं जो किस इस प्रकार की घटनाओं को जन्म हेते हें।

अध्ययन का विषय अत्यन्त जटिल है इस पर और भी विस्तृत शोध अध्ययन करने की अवश्यकता है। समाजशासत्र के क्षेत्र में शोधकर्त्री का यह प्रथम प्रयास है। इस आशा से कि संबंधित सामग्री के संकलन से समस्या को समझना व उसके समाधान के लिये पृष्टभूमि तैयार हो सके।

स्त्रियों की परम्परागत स्थिति को जानने के लिये "Women in ancient India, Women in Hindu society, "Status of women", "Social Position of Hindu Women", The Marriage and Family in India, Hindu Social Organisation, आदि का अध्ययन किया।

उक्त अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि भारतीय संस्कृति में नारी को एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त रहा है। वह पारिवारिक जीवन की आधारशिला थी परन्तु मध्यकालीन युग में स्त्रियों की स्थिति में क्रान्मिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया फिर भी अधिकांश महिलायें शारीरिक व मानसिक शोषण से त्रस्त होकर अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हो रही है।

प्राथमिक या क्षेत्रीय स्रोतों से भी समस्या के अन्दर्भ में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया फिर भी अधिकंश महिलायें शारीरिक व मानसिक शाषण से त्रस्त होर अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हो रही है।

प्राथमिक या क्षेत्रीय स्रोतों से भी समस्या के सन्दर्भ में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया। प्राथमिक या क्षेत्रीय स्रोत उन स्रोत कहते हैं जिनसे कि अनुसंधानकर्ता अपनी आवश्यकतानुसार तथ्य एकत्रित करता है। यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि क्षेत्रीय स्रोतों के अभाव में उस जानकारी का कोई गुणात्मक महत्व नहीं होता। अतः शोधार्थी ने निम्नलिखित प्रविधियों द्वारा तथ्यों का संकलन करने का प्रयास किया है।

कठिनाइयाँ

जिन कठिनाइयों का सामना शोधार्थी को करना पड़ता जो निम्न है– शोधार्थी ने समाचार पत्रों में छपी घटनाओं का आधार मानकर तथा कोर्ट से प्राप्त तथ्यों के आधार पर, असा–पास की घटी घटनाओं के आधार पर दुर्घटनाग्रस्त महिला के परिवार से जानकारी प्राप्त करनी चाहिी परन्तु उनेक परिवारों से उत्तर प्राप्त नहीं हो सके। इसका एक कारण यह भी समझ में आया कि अधिकांश ससुराल पक्ष से बात करने पर उन्होंने उत्तर देने में हिचकिचाहट दिखायी क्योंकि उनमें से अधिकांश पुरूषों का पुनर्विवाह हो चुका था और उनकी दृष्टि में गड़े मुर्छे उखाड़ने से कोई लाभ नहीं है। इसके अतिरिक्त जिन परिवारों में दहेज को लेकर मृत्यु हुयी वह परिवार विशेषकर ससुरल पक्ष यह सुनते ही परेशान हो गये कि जो बात येने–केन–प्रकारेण दब गयी है वह कहीं फिर से न उभर जाये, और सामाजिक प्रताड़ना का शिकार न होना पड़े। ऐसे परिवारों के विषय में अन्य माध्यम से जिन तक पहूँचना सम्भव था लेकिन सर्वेक्षण से पूर्व उनको यह बार–बार बताना पड़ता है कि शोधार्थी इस अध्ययन को केवल आज की ज्वलन्त समस्याओं के कारणों की खोज करने के लिये ही कर रही है। उनसे प्राप्त सूचनायें पूर्णतया गुप्त रखी जायेंगी।

शोधार्थी ने अनुसंधान करते समय इस तथ्य को पूर्णतया ध्यान में रखा कि उन सभी प्रश्नों के सही–सही उत्तर प्राप्त हो जायें, जो कि अनुसूची में सम्मिलित हैं। इसके लिये शोधार्थी को सर्वप्रथम उत्तरदाता के साथ मैत्री पूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास किया, जिससे उसका सहयोग प्राप्त हो सके। एक अनुसूची भरवाने के लिये ड़ेढ़–दो घंटे का समय लगा। यद्यपि यह एक निश्चित समय नहीं था क्योंकि उत्तरदाताओं पर निर्भर था कि वह कितना समय दे पाते हैं। अतः शोधार्थी द्वारा एक दिन में केवल दो तीन साक्षात्कान ही किये जा सके। सम्पूर्ण सर्वेक्षण कार्य में लगभग दो वर्ष का समय लगा क्योंकि अनुसंधान कार्य निजी समस्याओं से सम्बन्धि था और साधन सीमित थे। उत्तरदाताओं के पास एक से अधिक बार भी जाना पड़ा परन्तु इन कठिनाइयों के होते हुये भी शोधार्थी की समस्या की तह तक जाने की जिज्ञासा और समाधान खोजने की लालसा ने शोधार्थी का उत्साह बराबर बनाये रखा। विशेषकर मलिओं से जानकारी प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इससे एक बात उभर कर सामने आयी कि आज भी हमारे देश में महिलायें स्वतन्त्र रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में हिचकाचाती हैं। उनकी परिवारिक व्यस्तता भी इस कार्य में उनकी रूचि न होने का एक प्रमुख कारण हो सकता है। इसके अतिरिक्त कभी–काभी एक ही व्यक्ति के पास कई बार जाने पर भी सूचनायें प्राप्त नही हो सकीं। इसका कारण शायद हमारे देश में शोध का वातावरण तैयार न होना है और न ही लोग अधिकतर शोध के महत्व को समझते हैं इसलिये जब उनसे कोई जानकारी माँगी जाती तो वे शोधार्थी को अविश्वसनीय ढंग से देखने लगते। इसका एक कारण अशिक्षा भी हो सकता है या भौतिकवादी संस्कृति के प्रभाव के कारण व्यक्ति अपनी जीवन की समस्याओं से जूझते हुये इतना व्यस्त रहते हैं कि वे इतना समय नहीं निकाल पाते कि देश की समस्याओं को जानने व उसका समाधान ढूँढ़ने में सहायता दे सकें।

कुछ सूचनादाता अपनी वास्तविक परिस्थिति को छिपाने का प्रयास किया लेकिन इसके विपरीत कुछ ने शोधार्थी को उत्साहित भी किया यह कहकर कि ''यदि इस प्रकार के सर्वेक्षण समाज में किये गये तथा इस अध्ययनों के आधार पर सामाजिक समस्याओं का समाधान निकल सके तो शायद समाज का सुधार किसी सीमा तक हो सकता है।

एक अन्य भाविविह्वल स्थिति का सामना शोधार्थी को करना पड़ता है जबकि उसने दुर्घटनाग्रस्त महिला के माता–पिता से मिलकर सूचना एकत्र करनी चाही। वे अपनी मृतक पुत्री की याद आते ही भावविह्वल हो गये ऐसे में साक्षात्कार लेने में शोधार्थी

को काफी समय देना पड़ सकता और उन्हें दिलासा दिनाने का प्रयत्न किया और उनसे आग्रह किया कि इस घटना के सन्दर्भ में वे सही सूचनायें दे ताकि समाज में इस प्राकर की अन्य दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

शोधार्थी साक्षात्कार के समय की व्यक्तिगत अध्ययन में लोगों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनकी आय के स्रोत, परिवार के स्वरूपों का भी अध्ययन करना और समाज में बदलते प्रतिमानों को महसूस करना। साक्षात्कार के दौरान निरीक्षण के द्वारा भी बहुत से तथ्यों का अध्ययन करना। शोधार्थी ने इस कार्य में इतनी सतर्कता रखनी पड़ती है कि प्रत्येक अध्ययन सूक्ष्मता के साथ किया गया और साक्षात्कार के पश्चात् प्रतिदिन उसकी रिपोर्ट भी तैयार करना पड़ता है। जो भी तथ्य एकत्रित किये गये हैं वे छूट न जाये।

शोधार्थी को पुलिस विभाग तथा न्यायालयों में दर्ज मुकदमों का अध्ययन करने में भी अत्यनत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अनेकों बार जब, सम्बन्धित अधिकारी को उनके द्वारा अपेक्षित धन शोधार्थी द्वारा दिया तभी वह पुलिस विभाग तथा न्यायालयों से कोई भी सूचनायें प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्य में उसे कभी–कभी सारा दिन भी व्यर्थ गँवाना पड़ जाता है। और कोई भी तथ्य प्राप्त न हो पाता है। परन्तु प्रबल इच्छा शक्ति के सहारे शेधार्थी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं।

तथ्यों का संकलन

तथ्यों का संकलन प्राथमिक और द्वैतीयक स्रोतों दोनों से ही किया जाता है किन्तु विषय अत्यन्त गूढ़ व जटिल होने के कारण शोधार्थी को मुख्यतः प्राथमिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तथ्य संकलन से कारणों की खोज करने तथा समस्या का समाधान ढूँढ़ने में सहायता मिलती है। तथ्यों का संकलनन अनुसूची के स्रोत, परिवार का स्वरूप, दुघर्टना के कारण, उनका परिवार के सदस्यों पर प्रभाव आदि से सम्बन्धि विचारों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

द्वैतीयक या प्रलेखित स्रोतों में विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखित ग्रन्थ सरकार से तथ्यों का संकलन किया गया।

तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या

किसी समस्या के वैज्ञानिक अध्ययन में जो भी तथ्य, सूचनायें संकलिस की जाती हैं, वे दो प्रकार की होती है–

1. गुणात्मक जो किसी विषय–वस्तु या समस्या के गुणों या विशेषताओं को बताती है।
2. गणनात्मक जो किसी समस्या के सम्बन्ध में आँकड़ों के रूप में ज्ञान प्रदान करती है।

सांख्यिकीय आँकड़ों से संबंधित होती है जबकि सामाजिक घटनायें प्रायः गुणात्मक प्रवृत्ति की होती हैं जिनका अभाव सांख्यिकीय पद्धति में पाया जाता है। सांख्यिकीय पद्धति के इस दोष को केवल क्षेत्रीय अध्ययन द्वारा ही दूर किया जा सकता है। क्षेत्रीय अध्ययन व्यक्तियों के विचार, उनकी मनोवृत्त विभिन्न समस्याओं को वे किस दृष्टि से देखते हैं। समस्या के समाधान हेतु उनके सुझाव आदि गुणात्मक अध्ययन में आते है।

तथ्यों का सारणीयन

संकलित तथ्यों को व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिये वर्गीकरण के पश्चात् विश्लेषण कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है। सारणी की परिभाषा श्री घोष एवं चौधरी ने इस प्रकार की है–

''सारणीयन गुणात्मक तथ्यों का एक ऐसा व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक प्रदर्शन है जिससे विचाराधीन समस्या स्पष्ट हो सके।''

प्रस्तुत शोध के माध्यम सेयथास्थान सारणीयन तथ्यों का प्रयोग किया जाय। कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं हो सकते हैं। उनका उल्लेख भी तालिक में किया जा सकता है।

निष्कर्ष

कहा जा सकता है कि सामाजिक शोध एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा सामूहिक जीवन में व्याप्त विभिन्न प्रकार की घटनाओं की प्रकृति उनके अन्तर्सम्बन्धों तथा उनमें अन्तर्निहित प्रक्रियाओं का पक्षपात रहित रूप से विश्लेषण विश्लेषण कर करके एक सामान्य सिद्धान्त का प्रतिपादन कर सकते हैं।

सन्दर्भ

1. PY. Young Scientific social surveys and Research, Asia Publishing house, Bombay 1968, P 44.
2. Bogardus EC. Socialogy P 543.
3. GS. Fisher In Fair Childs dictonary of Socialogy P 543.
4. आर.एल. एकॉफ डिजाईन ऑफ सोशियल रिसर्च, पृ. 5
5. डब्यू जे.गुड एवं पी. के. हॉट मैथड ऑफ सोशल रिसर्च पृ 206
6. बोगार्ड्स सोशियोलॉजी पृ. 543